International Journal of Scientific Research in Science, Engineering and Technology
© 2018 IJSRSET | Volume 4 | Issue 7 | Print ISSN: 2395-1990 | Online ISSN : 2394-4099

सामाजिक रूप से वंचित बच्चों की शिक्षा

श्रीमती किरन सिंह
प्रवक्ता, शिक्षक–शिक्षा संकाय
नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय
कोटवा जमुनीपुर– दुबावल,
इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश,भारत।

भूमिका- किसी भी राष्ट्र अथवा समाज की प्रगति उसके नागरिकों पर निर्भर करतीहै। मानव –संसाधन के विकास ने शिक्षा को सदेव महत्व पूर्ण माना गया है। वस्तुत: शिक्षा किसो भी समुदाय के विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। यही कारण है कि भारतीय समाज में जनसामान्य के साथ–साथ वंचित वर्गों की शिक्षा पर भी विषेश ध्यान दिया गया जिससे समाज के वंचित वर्ग का भी चहुँमुखि विकास हो सके तथा वह राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सके।

वंचित वर्ग का अर्थ- ' वंचित' का शाब्दिक अर्थ है ' अभाव' ' विहिन आदि। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु या सुविधा से विहिन हो जाता है तो वह उस वस्तु या सुविधा से वनचित हो जाता है। ऐसा व्यक्ति असंतुष्ट रहता है। और अपने व्यक्तित्व का पूर्ण व अधिकतम विकास नही कर पाता है। वंचित वर्ग से तात्पर्य समाज के उन व्यक्तियों से है। जो अपनी समाजिक, आर्थिक, शारीरिक अथवा धार्मिक परिस्थिति के कारण उन्नत्ति नही कर सके। हमारे भारतीय समाज का ढाँचा जन्म प्रदत्त जातियों पर आधारित है। भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में विशेषत: जातिगत संदर्भ में एक ऐसा वर्ग अस्तित्व में है। जो सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से वंचित वर्ग कहलता है। इसे हम' दलित ' या' हरिजन ' नाम से पुकारते हैं। आर्थिक रूप से वंचित वर्ग एक वैश्विक समस्या है। इसके अन्तर्गत अमिरी व गरीबी आती है। गरीब वर्ग आर्थिक रूप से वंचित कहलाता है। वैसे वंचना के कई प्रकार होते है ।

1. शारीरिक व मानसिक वचना या विकलांगता
2 आर्थिक वंचना
3. सामाजिक व सांस्कृतिक वचना

शारीरिक व मानसिक रूप से वंचित बच्चों की शिक्षा- विगलांग दो प्रकार के होते है शारीरिक व मानसिक/शारीरिक विकलांक वे होते है जिनमें शरीर के किसी अंग का अभाव होता है या जिनका कोई अंग पूर्ण रूप से कार्य नही करता है। जैसे अंधे, बहरे, लगडें आदि। मानसिक विकलांग वे होते है जो न्यून बुद्धि के होते है, किसी बात को देर से समझते

है। या उच्च मानसिक प्रक्रियाओं के योग्य नहीं होते जैसे मंगोल बच्चे। स्वतत्रंता के पश्चात समाज कल्याण विभाग व शिक्षा विभाग ने इन बच्चों की

शिक्षा का दायित्व संयुक्त रूप से सभाला। सर्वप्रथम देहरादून में अन्धों के लिये एक केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना की गयी। 1955 में ब्रेल प्रेस की स्थापना अन्धो की शिक्षा के संदर्भ में एक महत्व पूर्ण कीर्तिमान है। केन्द्रीय सरकार द्वारा देश भर में अनेक सरकारी व गैरसरकारी प्रयास हमारे देश में किये गये हैं। सरकार ने ' समाज कल्याण बोर्ड,' अन्ध कल्याण ' व' बहरे के लिये बोर्ड का गठन तथा पत्रिकाओं का प्रकाशन जारी रखा है। विकलांगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये उन्हें व्यवसायिक शिक्षा की व्यवस्था सरकार तथा समाजिक संस्थाओं की तरफ से की जानी चाहिए आर्थिक रूप से वंचित वच्चों की शिक्षा- आर्थिक रूप से वंचित वर्ग में कुछ व्यक्ति निम्न आय वर्ग के हैं, कुछ गरीबी रेखा के नीचे। इस वर्ग में शहरी निर्धन वर्ग, श्रमिक वर्ग, कृषक वर्ग आदि के बच्चे आते है। आर्थिक रूप से वंचित बच्चों की शिक्षा के लिये प्रयास-भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में-15 (4), 46, 335, 338, 339, 340, 341 तथा 342 में इनके कल्याण के विशेष प्रवधान किये गये है। इस वर्ग की शिक्षा के लिये सरकार द्वारा निम्न उपाय किये गये हैं।

1. नि:शुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था
2. नि:शुल्क पुस्कते एवं लेखन सामग्री की व्यवस्था
3. मध्यान भोजन की व्यवस्था
4. निर्धन वर्ग के रोजगार योजनायें
5. जनजागरण

सामाजिक व सांस्कृतिक दृष्टि से वंचित वच्चे- हमारे भारतीय समाज की प्राचिन व्यवस्था प्रारम्भ में वर्णो और कालात्तर में जातियों पर आधारित थी। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व यह जाति व्यवस्था हमारे भारतीय समाज का कलंक बन गयी। समाज चार प्रमुख जातियों ब्राम्हण, क्षात्रिय, वैश्य, व शूद्र में बट गया। शूद्र को सामाजिक दृष्टि से वंचित माना गया। समाज की विभिन्न विषमताओं को झेलता हुआ यह वर्ग शिक्षा की छाया से भी वंचित रहा। किन्तु वर्तमान समय में इस विचार धारा में परिर्वतन आया, स्वतंत्रता के पश्चात इस वर्ग के लिये संविधान में कुछ विशेष घोषणाए की गयी। वंचित वर्ग के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछडा वर्ग, आदि आते है। जो वर्ग सामाजिक व आर्थिक सूविधाओं से वंचित है, व स्वाभाविक रूप से सांस्कृतिक वंचना से भी ग्रसित हो गा ही। सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से वंचित बच्चों के शिक्षा सम्बन्धित प्रयास-

सविधान का प्रावधान

1. Art. 17- अस्पृश्यता का अन्त
2- Art. 25- सार्वजनिक संस्थाओं में सभी का प्रदेश
3- Art. 49- वंचित वर्गो की आर्थिक तथा शिक्षा सम्बन्धित हितों की रक्षा
4- Art. 46- सामाजिक अन्याय व शोषण से रक्षा

सरकारी प्रयास- 1960-61 में ढेबर समिति के सूझाव

1. प्राथमिक शिक्षा का विकास किया जाय।

2. विशेष विद्यालय की स्थापना व अध्यापकों की नियुक्ति की जाय।

3. वंचित बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा, मध्यान भोजन, पुस्तके, वस्त्र, व लेखन सामग्री की व्यवस्था।

4. इनकी शिक्षा में हस्तलिपि पर विशेष ध्यान दिया जाय।

5. शिक्षकों के आवस की व्यवस्था।

6. मातृभाषा में पुस्तकों व शिक्षा की व्यवस्था।

7. इनकी भाषा व संस्कृति को पाठ्यक्रम में समाहित किया जाय।

8. बालिकाओं के लिये आश्रम स्कूल खोले जाय।

9. जाय इनकी समाजिक व सांस्कृतिक शिक्षा को केन्द्रीत करने के लिये सर्वेक्षण किया जाय ।

इस समिति के सूझावों पर सरकार ने अमल किया और वर्तमान में इनकी स्थिति में काफी सुधार भी है। इस क्षेत्र में राजनैतिक संगठन काफी कियाशील है। जिसके परिणम स्वरूप ने शिक्षा व व्यवसाय दोनो ही क्षेत्रों में आरक्षण मिला है। भोपाल घोषण पत्र में शिक्षा सबंधी प्रवधान-12-13 जनवरी 2000 को मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में दलित बुद्धि जीवियों का एक महा सम्मेलन आयोजित हुआ जिसमें 21 सूत्रीय दलित एजेन्डे को स्वीकार किया गया जिसमें शिक्षा सम्बन्धीत प्रावधान निम्न है।

1. दलितों के लिये नि:शुल्क अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था तत्काल लागू हो तथा दलित बस्तियों में आधुनिक तकनीकि के विद्यालयों तथा व्यवासायिक शिक्षा की व्यवस्था हो ।
2. वंचित वच्चों को छात्रवृत्तियों व निरक्षरों की संख्या के अनुपात में धनराशि का आवंटन हो।
3. वंचित बच्चों के प्रवेश हेतु आरक्षण लागू किया जाय
4. सरकारी खर्च पर इन बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध करायी जाय तथा अंग्रेजी माध्यम वाले विद्यालयों में इन बच्चों के दाखिले में पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित की जाय-
5. अकादमीक, स्वायत्तशासी संस्थाओं से लेकर विश्वविद्यालय और सार्वजनीक प्रतिष्ठानों में इनकी उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चि की जाय

सामाजिक व सास्कृतिक दृष्ट से वंचित वच्चों की शिक्षा के लिये कुछ सुझाव-

1. सामाज की मुख्य धारा से जोड़ना
2. प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था
3. लड़कियों की शिक्षा की विशेष व्यवस्था
4. प्रवेश में आरक्षण
5. सरकार द्वारा सहायता

निष्कर्ष- इस प्रकार वंचित वर्ग के बच्चों की शैक्षिक स्थिति में सुधार किया जा सकता है।आज सामाजिक रूढियों में परिवर्तन आया तथा प्रगतिशीलता के कारण समाज के चितन में उदारीकरण का प्रदुर्भाव हुआ। अज्ञानता तो किसी समाज के लिये ताबूत की अन्तिम कील सावित होती है। किसी भी देश में लोकतंत्र समुचित शिक्षा पर ही फलता – फूलता एवं विकसित होता है। शिक्षा मनुष्य को प्रश्न पूछने एवं उनकी तार्किक परिणीति को जानने का मार्ग प्रशस्त करती है। शिक्षा सामाजिक सतुलन लाने का एक महत्वपूर्ण साधन है इस लिये वंचित वर्गों के उत्थान के लिये शैक्षिक कार्यक्रम को अधिक महत्व दिया गया। मेरी दृष्टि में, शिक्षा सर्वोत्तम को चुनने की क्षमता देती है, एक तरह की समग्र दृष्टि जो उचित को प्रोत्साहित करें और अनुचित का प्रतिकार।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. उमा टंण्डन एवं अरूणा गुप्ता उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक
2. एस_ पी_ गुप्ता भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्यायें
3. विवेक एस 0 राज– समाकालिन भारतीय मुद्दे
4. समिरात्मज मिश्र–निबन्ध मजूषा